न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

प्र०सं० 71/19
दायरा दिनांक 29.7.19
निर्णय दिनांक 2/12/19

बउनवान

हेमन्त नागर उम्र 28 वर्ष पुत्र त्रिभुवनपाल नागर जाति धाकड़ निवासी रांची तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)

- वादी -

बनाम

1- नहीबाई पुत्री घनश्याम पत्नी मुकुटबिहारी जाति धाकड़ निवासी जलवाड़ा हाल निवासी करनाहेड़ा तहसील बारां जिला बारां (राज०)

2- हेमराज पुत्र घनश्याम जाति धाकड़ निवासी जलवाड़ा तहसील किशनगंज जिला बारां

3- मनोज पुत्र घनश्याम जाति धाकड़ निवासी जलवाड़ा हाल किशनगंज जिला बारां

4- निर्मला बाई पुत्री घनश्याम पत्नी जमनालाल जाति धाकड़ निवासी जलवाड़ा हाल नाहरगढ़ तहसील किशनगंज जिला बारां (राज०)

5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज०)

- प्रतिवादीगण -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. सहपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 2/12/19

उपखण्ड अधिकारी
... (राज.)

Scanned by CamScanner

आपत्ती क्रम 2 की ओर से प्रार्थना पत्र

~~आदेश~~ 7 नियम 11 CPC सहपठित धारा 151 C.P.C. पेश किया प्रार्थना पत्र मे कथन किया

1- यह कि वादी ने वादपत्र सम्मानीय न्यायालय मे विरुद्ध पेश किया है। वादी / प्रार्थी ने इकरारनामा 3-4-2019 अनरजिस्टर्ड बेचाननामा के आधार पर सम्मानिय न्यायालय मे वाद पेश किया है। जो चलने योग्य नही है बेचान इकरारनामा के आधार पर संविदा की विशिष्ट अनुपालना के लिये वाद सिविल न्यायालय मे पेश किया जा सकता है। तथा संविदा की अनुपालना सिविल न्यायालय द्वारा करवाई जा सकती है।

2- यह कि वादी ने आधारहीन तथ्यो के आधार पर न्यायालय मे वाद पेश किया है। सम्मानीय न्यायालय को इस प्रकार के वाद सुनने का अधिकार नही है। तथा प्रार्थी क्रम 1 द्वारा सिविल न्यायालय मे प्रतिवादी क्रम 2 के विरुद्ध रिलिज डीड, हकत्याग निरस्त किये जाने बाबत वाद पेश कर रखा है। जो जवाब हेतु विचाराधीन है। तथा प्रतिवादी क्रम 1 ने श्रीमान न्यायालय मे विचाराधीन सिविल न्यायालय नदीबाई बनाम हंसराज वगैरह सख्या 13/19 के तथ्यो को भी वादी ने श्रीमान न्यायालय से छुपाया है, इस प्रकार उक्त वाद को श्रीमान न्यायालय मे वादी को पेश करने का अधिकार नही है। जो कानून के प्रावधानो के विपरीत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र खारिज करने की कृपा करें।

वादी अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC की नकल तामील की गई।

उपखण्ड अधिकारी

वादी अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 C.P.C. इस आशय का पेश किया -

1. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 अस्वीकार है। और कथन है कि प्रतिवादी क्रम 2/ प्रार्थी ने अभी उक्तवाद में लिखित जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। और प्रतिवादी क्रम 2 प्रार्थी को वादी / अप्रार्थी द्वारा तैयार किये गये दावे के खिलाफ अपने कथनों को आगे बढने हेतु लिखित जवाब में प्रार्थनापत्र की मद नं० 1 में वर्णित कानूनी आपत्तियां उठानी चाहिये और ऐसे सभी कानूनी बिन्दुओं का परिक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय के लिये तनकी के रूप में तैयार किया जाना चाहिये। और परिक्षण न्यायालय के लिये यह महत्वपूर्ण है कि वह केस सबूत दोनों पक्षकारों के प्रत्येक प्रकथन की जांच करें। और फिर कानून के प्रावधानों के अनुसार फैसला करे। प्रकरण में इस स्टेज पर उक्त कानूनी आपत्ति नहीं उठाई जा सकती। R.R.D. 1996 पेज नं० 418 वजनपाल रामचन्द्र बनाम हनुमान आदि में यह Held किया है। That Legal objections Should be raised in written statement and issues be framed. Case must be decided after examining the issues - Decision merely on the basis of only Legal objection is not Justified ऐसी स्थिति में प्रार्थी / प्रतिवादी क्रम 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

2. यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 अस्वीकार है। और कथन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादी / अप्रार्थी ने वादपत्र में वर्णित विवादित कृषि आराजी के हिस्से 1/4 का अधिकारी है। और अधिकारी को इस 1/4 हिस्से आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
जिला बारां (राज.)

खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने
आराजी का बंटवारा कराने हेतु और प्रतिवादीगण
निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के लिये प्रस्तुत किया
इस प्रकार के अनुतोष कृषि आराजी पर मात्र राजस्व
द्वारा ही प्रदान किये जा सकते है। कृषि आराजी पर
प्रकार के अनुतोष प्रदान करने का क्षेत्राधिकार सिविल
को नही है। राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा
मे यह प्रावधान किया गया है कि तृतीय अनुसूची
शामिल वर्णित किस्म प्रकृति आधारित धारा 88
92A 53 188 R.T.A के सभी प्रकार के
प्रार्थना पत्र मात्र राजस्व न्यायालय द्वारा ही सुने
सिविल न्यायालय तृतीय अनुसूची मे शामिल
किस्म प्रकृति उपरोक्त प्रकार के वाद अथवा
पत्रों पर सुनवाई नही कर सकता। ऐसी स्थिति
भी प्रार्थी / प्रतिवादी क्र 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना
खारिज किये जाने काबिल है।
3- यह कि अन्य वस्तुगत कथन बहस मौखिक
किये जायेंगे।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है
प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज फरमाने का
आदेश प्रदान करें।

प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब प्रार्थना पत्र की
नकल तकसीम की गई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सहपठित धारा 151 CPC पर उभयपक्ष
बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधि

अधिकारी

ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 मे वर्णित तथ्य दावे मे सुनवाई योग्य है। जवाब दावे मे होने चाहिये थे। तनकी कायम कर निर्णित होते। वादी ने तथ्य छिपाये है, गलत है। प्रतिवादी क्र० 1 ने कैंसिलेशन का दावा सिविल कोर्ट मे कर रखा है। हमने नहीं, सैक्शन 88, 89, 53 RTA मे मांगे है। RTAct की धारा 207 मे दर्ज है। राजस्व न्यायालय ही सुन सकता है। सिविल कोर्ट के दावे की जानकारी मुझे नहीं प्रतिवादी का 7-11 का प्रार्थना पत्र खारिज करें।

प्रतिवादी क्रम 2 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वाद विधि-विरूद्ध है। इकरारनामा 3/5/19 को 5 लाख रुपये मे वादी को कब्जा सम्भला चुकी है यह इकरारनामा फर्जी है। नोटरी नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं no validity इसी नही वादी ने हमे भूमि रेहन करा रखी है। जिसकी कैंसिलेशन की कार्यवाही सिविल कोर्ट मे विचाराधीन है। वाद कुपामा स्पेसेफिक परफारमेंस के तहत सिविल कोर्ट को ही अधिकार है। नया मसला है। Long पजेशन नहीं है। 53 मे केवल कोरेनेंट ही दावा ला सकते है। आप सहखातेदार नहीं है। RTAct sec. 207(A) 7 मे यह हेल्ड किया है कि इस तरह का दावा राजस्व न्यायालय मे नही सुन सकते 7-11 स्वीकार किया जावे दावा खारिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का गहनता से अध्ययन

उपखण्ड अधिकारी

दिया गया। अधोपान्त विवेचनानुसार प्रतिवादी अधिवक्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC सहपठित धारा 151 CPC स्वीकार योग्य है।

अतः इस आशय का निर्णय पारित किया जाता है कि प्रतिवादी/अधिवक्ता क्र. 2 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC सहपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाता है। वाद कडी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 2/12/19 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज, जिला बारां (राज.)